

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक: 2/10/2018

आज्ञा


विभिन्न कर्मचारी संगठनों से वार्ता करने हेतु एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

- | | | |
|----|-------------------------|---------|
| 1. | श्री राजपाल सिंह शेखावत | अध्यक्ष |
| 2. | डॉक्टर रामप्रताप | सदस्य |
| 3. | श्री यूनुस खान | सदस्य |
| 4. | श्री बाबूलाल वर्मा | सदस्य |

उक्त समिति मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) एवं आवश्यकतानुसार अन्य विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श कर अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी।


उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
 2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
 3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
 4. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
 5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
 6. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
 7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
- रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव